न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री [illegible] कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या: 150/2017

दर्ज दिनांक: 01/11/2017

निर्णय दिनांक : 14/11/2017

रामसहाय पुत्र बिरदा, जाति बैरवा, निवासी: श्रीरामजीपुरा, तहसील फागी जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

1. हनुमान पुत्र बिरदा
2. मदन पुत्र बिरदा

   जाति बैरवा, निवासी: श्रीरामजीपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
3. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

— प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

उपस्थित:

श्री सीताराम सैनी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादी

श्री रामस्वरूप चौधरी एडवोकेट
श्री पप्पूलाल सैनी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार रा0उ0।

निर्णय दिनांक: 14/11/2017

सत्यप्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 127 के आराजी खसरा नंबर 269/2 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खतौनी संख्या 1285 के खसरा नंबर 230/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 200 रकबा 11 बिस्वा, 333

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

रकबा 12 बिस्वा, 336 रकबा 6 बिस्वा, 348 रकबा 6 बिस्वा, 000/2 रकबा 10 बिस्वा, 441/215 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 448/250 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 461/001 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 7 बीघा भूमि वाके ग्राम श्रीरामजीपुरा, पटवार हल्का ढाबिच, भू.अभि.नि.क्षेत्र माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। विवादग्रस्त आराजी का वादी दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार एव काबिज काश्त है आराजी का बिरदा की विरासत का नामान्तकरण संख्या 79 दिनांक 12.06.1968 को वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम नामान्तकरण खुला उस समय वादी नाबालिग था। विरासत का नामानतकरण खुला उसमें भी वादी का नाम रामसहाय की जगह छोटया हो गया वादी को गांव में बचपन में छोटया नाम से पुकारने से उक्त विवादित व अन्य आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रामसहाय पुत्र बिरदा की जगह छोटया पुत्र बिरदा जाति चमार के स्थान पर रामसहाय पुत्र बिरदा, जाति बैरवा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित छोटया पुत्र बिरदा व रामसहाय पुत्र बिरदा जाति बैरवा ग्राम श्रीरामजीपुरा तहसील फागी में एक ही व्यक्ति है इस नाम के अलावा इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम श्रीरामजीपुरा में नहीं है बल्कि वादी का मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड एव ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र में वादी का नाम रामसहाय पुत्र बिरदा दर्ज है जिससे पूर्णतया सिद्ध होता है कि वादी का नाम रामसहाय पुत्र बिरदा सही है इसलिये वादी का नाम छोटया पुत्र बिरदा की जगह रामसहाय पुत्र बिरदा जाति बैरवा राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिये वादी आराजीयात की घोषणा करवाने एवं दुरुस्ती इन्द्राज करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादी ने उक्त आराजीयात को काफी पैसा खर्च कर समतल व उपजाऊ बना लिया है आराजीयात का वादी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एव शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है लेकिन राजकीय कर्मचारियो के सहवन से एव वादी के नाबालिग होने से उक्त सही नाम की जानकारी नहीं हुई एवं वादी को छोटया व रामसहाय के नाम से पुकारते थे इसलिये दोनो ही नामो से उक्त आराजी में नाम भी अलग–अलग हो गये जबकि वादी का नाम रामसहाय पुत्र बिरदा, जाति बैरवा सही है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में वादी अपना नाम रामसहाय पुत्र बिरदा जाति बैरवा दुरुस्त

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

सत्यप्रतिलिपि

रीडर
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

परपाने का कानूनन अधिकारी है। अभी हाल ही में दिनांक 20.10.2017 को वादी ने अपनी खातेदारी भूमि का किसान कार्ड बनवाने के लिये पटवारी हल्का से नकले प्राप्त करने पर अपने नाम की जानकारी हुई पटवारी हल्का द्वारा कहा गया कि आपका नाम रिकॉर्ड में छोटया पुत्र बिरदा है जबकि सही नाम रामसहाय पुत्र बिरदा है जिसको सक्षम न्यायालय में आवेदन परपाने बाबत कहा गया इसलिये मान्य न्यायालय में वादी द्वारा वाद घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी ने दावा के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित कर अनुतोष चाहा है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि वाद में वर्णित आराजी में वादी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है एवं राजस्व रिकॉर्ड में छोटया पुत्र बिरदा, जाति चमार के स्थान के स्थान पर रामसहाय पुत्र बिरदा, जाति बैरवा दुरूस्त किया जाकर पालना बाबत तहसीलदार फागी को आदेश फरमाया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वादी की आराजीयात में किसी प्रकार से उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी नहीं करे, न ही अन्य किसी हाली–सीरी एजेन्ट–सर्वेन्ट से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गई। दिनांक 07.11.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने इकबालिया जवाबदावा पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा प्रस्तुत किया, राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 09.11.2017 को प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार रा0 ने उपस्थित होकर वादी वाद को स्वीकार किया।

राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने यह तथ्य अंकित किये कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 127 के आराजी खसरा नबर 269/2 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खतौनी संख्या 1206 के खसरा नंबर 200/2 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 266 रकबा 11 बिस्वा, 333 रकबा 12 बिस्वा, 330 रकबा 6 बिस्वा, 340 रकबा 6 बिस्वा, 355/2 रकबा 10 बिस्वा, 441/215 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 448/250 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 461/331 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 7 बीघा भूमि वाके ग्राम श्रीरामजीपुरा, पटवार हल्का डाबिच, भू.अभि.नि.क्षेत्र माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर में

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

सत्यप्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

स्थित है जिसमें पादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। विवादग्रस्त आराजी का वादी दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार एवं काबिज पारता है आराजी का बिरदा की विरासत का नामान्तकरण संख्या 79 दिनांक 12.06.1968 को वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम नामान्तकरण खुला उस समय वादी नाबालिग था। विरासत का नामानंतकरण खुला उसमें भी वादी का नाम रामसहाय की जगह छोटया हो गया वादी को गांव में बचपन में छोटया नाम से पुकारने से उक्त विरासत व अन्य आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामसहाय पुत्र बिरदा की जगह छोटया पुत्र बिरदा जाति चमार के स्थान पर रामसहाय पुत्र बिरदा, जाति बैरवा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। छोटया पुत्र बिरदा व रामसहाय पुत्र बिरदा जाति बैरवा ग्राम श्रीरामजीपुरा, तहसील फागी में एक ही व्यक्ति है इस नाम के अलावा इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम श्रीरामजीपुरा में नहीं है बल्कि वादी का मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड एवं ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र में वादी का नाम रामसहाय पुत्र बिरदा दर्ज है जिससे पूर्णतया सिद्ध होता है कि वादी का नाम रामसहाय पुत्र बिरदा सही है इसलिये वादी का नाम छोटया पुत्र बिरदा की जगह रामसहाय पुत्र बिरदा जाति बैरवा राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिये वादी आराजीयात की घोषणा करवाने एवं दुरूस्ती इन्द्राज करवाने का कानूनन अधिकारी है। हम प्रतिवादी संख्या 1 व को कोई आपत्ति नहीं है। राजीनामानुसार वाद डिक्री किया जावे।

बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, फोटोप्रति जाति प्रमाण पत्र, फोटोप्रति राशनकार्ड, फोटो प्रति पहचान पत्र, फोटोप्रति आधारकार्ड, असल प्रति ग्राम पंचायत अधिच द्वारा जारी भौतिक सत्यापन दिनांक 09.11.2017, राजीनामा इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम छोटया पि. बिरदा जाति चमार दर्ज रिकार्ड है।

पादी ने वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में छोटया पि. बिरदा जाति चमार के स्थान पर रामसहाय पुत्र बिरदा जाति बैरवा दर्ज करवाना चाहा है।

सत्यापित लिखित

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

वादी के अनुतोष पर मनन किया गया। बाद मनन यह पाया गया कि पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति आधारकार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड में पांदी का नाम रामेश्वर बैरवा अंकित है। ग्राम पंचायत डाबिच ने अपने द्वारा जारी भौतिक सत्यापन दिनांक 09.11.2017 में छोटया पुत्र बिरदा एवं रामसहाय पुत्र बिरदा दोनो एक ही व्यक्ति होना बताया है साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने इकबालिया जवाबदावा एवं राजीनामा में वादी वाद स्वीकार किये जाने में अपनी पूर्ण सहमति प्रकट की है।

प्रकरण के संपूर्ण तथ्यो पर गौर व मनन करने पर मेरे द्वारा न्यायहित में राजीनामानुसार वादी वाद स्वीकार कर बावग्रस्त आराणीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज छोटया पुत्र बिरदा जाति चमार को हटाकर इसके स्थान पर रामसहाय पुत्र बिरदा जाति बैरवा दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वाद राजीनामानुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 269/2, 239/2, 266, 333, 336, 348, 355/2, 411/210, 448/250, 461/331 ग्राम श्रीरामजीपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज छोटया पुत्र बिरदा जाति चमार को हटाकर इसके स्थान पर रामसहाय पुत्र बिरदा जाति बैरवा दर्ज किया जाकर आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में छोटया पुत्र बिरदा के दर्ज हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14/11/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर) मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत—उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास—सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

रामसहाय पुत्र बिरदा

बनाम

छुगान पुत्र बिरदा व अन्य

::– वाद घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 150/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी वाद राजीनामानुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 269/2, 239/2, 266, 333, 336, 348, 355/2, 441/215, 448/250, 461/331 ग्राम श्रीरामजीपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज छोटया पुत्र बिरदा जाति चमार को हजफ कर इसके स्थान पर रामसहाय पुत्र बिरदा जाति बैरवा दर्ज किया जाकर आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में छोटया पुत्र बिरदा के दर्ज हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

[illegible]...... [illegible]...... बाबत......

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह...... — ......फीसदी...... — सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...... — ......का अदा करें।

डिक्री मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11/11/2017 को जारी की गई।

दस्तखत......
उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)......

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प पर्चा सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	NIL		फीस कमीश्नर	NIL	
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफारक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

सत्यप्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)